भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्याः 4393 /उ0ख0/भू0खनि0नि0/वि0निवि0परि0/2023–24, दिनांक 20 नवम्बर, 2023

<u>वित्तीय निविदा का परिणाम</u>

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023–24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय–4 के नियम–20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2563/र0ख0ला0/ई0नी0/वि0का0ज्ञा0/भू0खनि0नि0/2023–24, दिनांक 22 अगस्त, 2023 के द्वारा विज्ञप्तिकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 3279/NTL_003/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 26.09.2023 के द्वारा जनपद नैनीताल की तहसील बेतालघाट के ग्राम बिसगुली–I, कोसी नदी के खसरा संख्या 737 मध्ये 1.56 है0 उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 84,240 टन एवं आधार मूल्य रू0 67,39,200.00 हेतु नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है0 से कम क्षेत्रफल के उपखनिज लॉटों को राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म /कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय–सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसकी तकनीकी निविदा दिनांक 19.10.2023 (बृहस्पतिवार) को अपरान्ह्न 12.00 बजे खोली जानी निर्धारित थी।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 176/पी0आई0 एल0/2023 तरूण शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 18.10.2023 को आदेश पारित किया गया कि "5. We direct the petitioner to implead the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), and State Pollution Control Board, as party respondents. 6. Steps be taken within a week. 7. Notice shall be issued to SEIAA and State Pollution Control Board, returnable on 27.12.2023, by all permitted modes, including electronically. 8. List the matter on 27.12.2023. 9. In the meantime, we direct that,in case, the environment impact assessment and clearance has not been granted, the tender process shall not be proceeded in pursuance to the auction noticedated 26.09.2023". उक्त के क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 3766/भू0खनि0नि0/ ई0नीला0/2023–24, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 3278/भू0खनि0 नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 3279/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा आमंत्रित निविदा खोले जाने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गयी।

मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र दिनांक 07.11.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जनहित याचिका संख्या 176/पी0आई0एल0/2023 तरूण शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य आज दिनांक 07.11.2023 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध थी, जिसमें मा0 न्यायालय, नैनीताल द्वारा आदेश पारित किया गया है कि "The Hon'ble Court, after hearing the Counsel for the parties at length has been pleased to dismiss the aforementionrd Writ Petition (PIL) wth the direction that the mining activity shall be carried only after obtaining the environmental clearance for the appropriate authority".

निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 4192/उ0ख0/भू0खनि0नि0/समि0/2023–24, दिनांक 07 नवम्बर, 2023 के द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र दिनांक 07.11.2023 के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 176/पी0आई0एल0/2023 तरूण शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायाल, उत्तराखण्ड, नैनीताल के द्वारा दिनांक 07.11.2023 को सुनवाई के उपरान्त उक्त जनहित याचिका को निरस्त (Dismissed) कर दिये जाने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश संख्या 3766/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 3278/भू0खनि0 नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 3279/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा आमंत्रित निविदा खोले जाने की कार्यवाही पर लगायी गयी रोक को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उक्त निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 08.11.2023 समय अपराह्न 2.30 बजे खोले

जाने की अनुमति प्रदान की गयी। उक्त के क्रम में तकनीकी निविदा दिनांक 08.11.2023 को अपराह्न 2.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी।

निदेशालय के पत्र संख्या 4316/उ0ख0/भू0खनि0नि0/ई–निविदा तकनी0नि0/2023–24, दिनांक 18 नवम्बर, 2023 के द्वारा निविदा समिति की संस्तुति के दिनांक 08.11.2023 (बुधवार) के अनुसार जनपद नैनीताल की तहसील बेतालघाट के ग्राम बिसगुली–I, कोसी नदी के खसरा संख्या 737 मध्ये 1.56 है0 उपखनिज क्षेत्र में दिनांक 08.11.2023 (बुधवार) में सफल निविदाताओं का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0सं0	निविदादाताओं का नाम	तकनीकी निविदा का परिणाम
1	2	3
1.	श्री इन्दर सिंह रावत	अभिलेख पूर्ण।
2.	अनंत इन्टरप्राइजेज	अभिलेख पूर्ण।
3.	श्री राम सिंह जलाल	अभिलेख पूर्ण।

ई–निविदा सह ई–नीलामी की तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदाकारों की वित्तीय निविदा दिनांक 18 नवम्बर, 2023 (शनिवार) समय अपराह्न 1.00 बजे खोली गयी, जिसका परिणाम निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	बोलीदाताओं का नाम	वित्तीय निविदा में प्राप्त बोली धनराशि (रू0 में)	वित्तीय बोली में प्राप्त उच्चतम बोली के अनुसार **H1** से **H3** का परिणाम (रू0 में)
1	2	3	4
1.	श्री इन्दर सिंह रावत	69,49,800.00	H1
2.	अनंत इन्टरप्राइजेज	69,07,680.00	H2
3.	श्री राम सिंह जलाल	68,23,440.00	H3

उपरोक्तानुसार ई–ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के सुसंगत नियम 25(1) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1,H2,H3 घोषित किया जाता है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एवं सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच–1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0–1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जब्त करते हुए उनके विरूद्ध नियम–23(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच–2 बोलीदाता को एच–1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Monery) की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Monery) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया एच–3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में ई–नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई–नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार श्री इन्दर सिंह रावत पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी– ग्राम टांडा मल्लू, रामनगर, जनपद नैनीताल H1 बोलीदाता घोषित होने के फलस्वरूप, उनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 69,49,800.00 (रू0 उनहत्तर लाख उनचास हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चम बोली का 25 प्रतिशत रू0 17,37,450.00 (रू0 सत्रह लाख सैंतीस हजार चार सौ पचास मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम–25(1) में किये गये प्रावधानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू0 67,39,200.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि रू0 16,84,800.00 अर्नेस्ट मनी के सापेक्ष भारतीय स्टेट बैक द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या

42361548114, दिनांक 17.10.2023, रू0 16,90,000.00 (रू0 सोलह लाख नब्बे हजार मात्र) निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू0 17,37,450.00 – 16,90,000.00 = 47,450.00) रू0 47,450.00 (रू0 सैंतालीस हजार चार सौ पचास मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, जमा की जायेगी, ताकि नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्लू0एल0 (यदि आवश्यक हों) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र निर्गत किया जा सकें।

अतः H1 बोलीदाता श्री इन्दर सिंह रावत पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी– ग्राम टांडा मल्लू, रामनगर, जनपद नैनीताल को निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार अवशेष धनराशि रू0 47,450.00 (रू0 सैंतालीस हजार चार सौ पचास मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, निदेशालय में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता को असफल बोलीदाता घोषित करते हुए अनुक्रमानुसार एच–2 को एच–1 बोलीदाता द्वारा बोली गई उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा।

(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

संख्याः 4393 /उ0ख0/भू0खनि0नि0/वि0निवि0परि0/2023–24, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :–

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद नैनीताल।
4. एच–1 बोलीदाता श्री इन्दर सिंह रावत पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी– ग्राम टांडा मल्लू, रामनगर, जनपद नैनीताल।

(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक